न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.729/2014

सरकार.....बनाम.....विपिन कुमार आदि

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **1.विपिन कुमार,2.सुधांशु उर्फ छोटू एवं 3.संतोष कुमार** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँः–

1. यह कि दिनॉक 27/11/2013 को समय समय करीब 8.30 बजे सुबह स्थान ग्राम कठिंगरा थाना क्षेत्र काकोरी जिला लखनऊ में आप ने वादिनी गंगादेई व उसके परिवार के सदस्यो को अपने सामान्य आशय की पूर्ति में यह जानते हुए कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य है,लाठी–डंडे व धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोटे पहुॅचायी और इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 323 सपठित धारा 34 भा0द0संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा गंगादेई व उसके परिवार के सदस्यो को इस आशय से भद्दी–भद्दी गालियां दिया कि वह लोक शांति बाधित करने को बाध्य हो और इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 504 भा0द0संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा गंगादेई व उसके परिवार के सदस्या को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया और इसप्रकार से आप लोगो ने **भा0दं0सं0 की धारा 506** के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया जोकि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

34 यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा गंगादेई व उसके परिवार के सदस्या को यह जानते हुए कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य है, जातिसूचक गालियां देकर उन्हें अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी और इसप्रकार से आप लोगो ने **धारा 3(1)10 एससीएसटी एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया जोकि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक :18/08/2015

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनॉक :18/08/2015

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0 729 / 2014

सरकार बनाम विपिन कुमार आदि

18–08–2015

पुकारा गया। अभियुक्तगण विपिन कुमार,सुंधांशु कुमार उर्फ छोटू एवं संतोष कुमार उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विरुद्व थाना काकोरी द्वारा आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा **323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एससीएसटी एक्ट** प्रस्तुत किया गया है।

आरोप के विन्दु पर विद्वान अभियोजन अधिकारी एंव अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया एंव पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियेाजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित किये जाने पर बल दिया। इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । अतः उन्हे उन्मोचित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अभिलेखों से अभियुक्तगण के विरुद्व प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एससीएसटी एक्ट गठित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण पर उपरोक्त धाराओ में आरोप पृथक पत्र पर विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उसने आरोप अस्वीकार किया तथा परीक्षण चाहा।

अभियोजन साक्षी तलब हों। पत्रावली दिनॉक 16 / 11 / 2015 को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0 / एस0टी0एक्ट,
लखनऊ।